S.No. PC-V/23

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

S.No. PC-V/23 **RBE No.185/97**

No. PC-V/97/I/RSRP/5 **New Delhi, dated 22.12.97**

The GMs/CAO(R)/OSDs,
All Indian Railways &
Production Units, etc.
(as per mailing list)

Sub : Applicability of Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 to persons re-employed in Railway service after retirement and whose pay is debitable to Railway Estimates.

Persons re-employed in railway service after retirement have been excluded from the purview of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 vide Rule 2(2)(g) thereof. The question of extension of the benefit of the revised pay rules to these persons and the procedure to be followed for fixing their pay in the revised scales has been under consideration of the Government. The President is pleased to decide that, in partial modification of Rule 2(2)(g) of the RS(RP) Rules, 1997, the provisions of those rules shall apply to such persons also who were in re-employment on 1st January, 1996, subject to the orders hereinafter contained. This decision will cover all Railway servants re-employed in Railway Departments other then those employed on contract whether they have retired with or without a pension and/or gratuity or any other retirement benefits, e.g. contributory fund etc. from a civil post or from the Armed Forces.

2(i) The initial pay of a re-employed Railway servant who elects or is deemed to have elected to be governed by the revised pay scale from the 1st day of January, 1996 shall be fixed in the following manner, namely -

According to the provisions of Rule 7 of the RS(RP) Rules, 1997 if he is -

(i) a Railway servant who retired without receiving a pension, gratuity or any other retirement benefit; and
(ii) a retired Railway servant who received pension or any other retirement benefits but which were ignored while fixing pay on re-employment.

2(ii) The initial pay of a reemployed Railway servant who retired with a pension or any other retirement benefit and whose pay was fixed on re-employment with reference to these benefits or ignoring a part thereof, and who elects or is deemed to have elected to be governed by the revised scales from the 1st day of January, 1996 shall be fixed in accordance with the provisions contained in rule 7 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997

In addition to the pay so fixed, the re-employed Railway servant would continue to draw the retirement benefits he was permitted to draw in the pre-revised scales, as modified based on

the recommendations of the Fifth Central Pay Commission, orders in respect of which have been issued separately by the Department of Pension & Pensioners Welfare. However, an amount equivalent to the revised pension (excluding the ignorable portion of pension, wherever permissible) effective from 1.1.1996 or after shall be deducted from his pay in accordance with the general policy of the Government on fixation of pay of re-employed pensioners.

After pay in the revised scale is fixed in the manner indicated above, increments will be allowed in the manner laid down in Rule 8 of RS(RP) Rules, 1997.

3. Re-employed persons who become eligible to elect revised scales in accordance with these orders should exercise their option in the manner laid down in Rule 6 of the RS(RP) Rules, 1997, within three months of the date of issue of these orders or in cases where the existing scales of pay of the posts held by them are revised subsequent to the issue of these orders within three months of the date of the orders/notification revising the scales.

4. Where a re-employed Railway servant elects to draw his pay in the existing scale and is brought over to revised scale from a date later than the 1st day of January, 1996, his pay from later date in the revised scale shall also be fixed in accordance with the provisions of Rule 7 of the RS(RP) Rules, 1997.

5. Pay of pensioners who are in re-employment in Railway departments as on 1.1.96 and are/were in receipt of NPA either before or after their re-employment will be regulated under provisions of Rule 7 of RS(RP) Rules, 1997 in the following manner :

(i) Cases where NPA was available with the existing scales and is admissible as a separate element with the revised scales also :- Pay in such cases may be fixed in accordance with provisions of Rule 7 of RS(RP) Rules, 1997.

(ii) Cases where NPA was attached with the existing scales and no NPA is attached with the revised scale :- In such cases, NPA should not be taken into account for pay fixation under RS(RP) Rules, 1997. The drop in emoluments, if any, will, however, be protected by grant of personal pay to be absorbed in future increases in pay.

(iii) Cases where no NPA was attached with existing scales and NPA is attached with revised scales : In such cases, NPA shall be drawn separately after fixing the pay under RS(RP) Rules, 1997

6. Hindi version will follow.

(R. Kashyap)
Executive Director, Pay Commission
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

क्र.सं.पी.सी. V/23 आर.बी.ई.सं. 185/97

सं.पी.सी. V/97/1/आई.एस.आर.पी./5 नई दिल्ली, दिनांक: 22.12.97

महाप्रबंधक/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी,
सभी भारतीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि
(डाकसूची के अनुसार)

.....

विषय: सेवानिवृत्ति के बाद रेल सेवा में पुनर्नियोजित उन व्यक्तियों के संबंध में जिनके वेतन रेलवे अनुमानों में डेबिट के योग्य हों, रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 की प्रयोज्यता.

.....

सेवानिवृत्ति के बाद रेल सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्तियों को रेल सेवा(संशोधित वेतन) नियम, 1997 के नियम 2(2) (जी) द्वारा इसकी परिधि से बाहर कर दिया गया है. इन व्यक्तियों को संशोधित वेतन नियम का लाभ प्रदान करने तथा संशोधित वेतनमान में उनका वेतन निर्धारित करने की प्रक्रिया का अनुसरण करने की प्रक्रिया संबंधी प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है. राष्ट्रपति जी ने रेल सेवा(संशोधित वेतन) नियम, 1997 के नियम 2(2)(जी) में आंशिक आशोधन करते हुए सहर्ष यह विनिश्चय किया है कि इन नियमों की व्यवस्थाएं उन व्यक्तियों पर भी लागू होंगी जो 1 जनवरी 1996 को पुनर्नियोजित रहे थे जो इसमें उल्लिखित आदेशों के अध्यधीन होंगे. यह विनिश्चय ऐसे पुनर्नियोजित व्यक्तियों के अलावा रेल विभाग में पुनर्नियोजित सभी रेल कर्मचारियों पर लागू होगा चाहे वे पेंशन तथा /अथवा ग्रेच्यूटी अथवा सेवानिवृत्ति संबंधी किसी अन्य लाभों यथा किसी असैनिक पद अथवा सशस्त्र बलों से अंशदायी निधि के साथ अथवा इनके बगैर सेवानिवृत्त हुए हों.

2(1) पुनर्नियोजित किसी ऐसे रेल कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन जो 1 जनवरी, 1996 से संशोधित वेतनमान द्वारा शासित किए जाने का विकल्प देता हो या जिसने विकल्प का चुनाव किया हुआ है ऐसा समझा जाता हो तो निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा अर्थात् :

रेल सेवा(संशोधित वेतनमान) नियम, 1997 के नियम की व्यवस्थाओं के अनुसार यदि,—

...2/-

(i) कोई ऐसा रेल कर्मचारी हो जो पेंशन, ग्रेच्युटी अथवा सेवानिवृत्ति संबंधी किसी अन्य लाभ के साथ सेवानिवृत्त हुआ हो, तथा

(ii) कोई ऐसा रेल कर्मचारी जिसने पेंशन अथवा सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभ तो प्राप्त किए हों किंतु जिन्हें पुनर्नियोजन पर वेतन निर्धारण करते समय अनदेखा कर दिया था.

2(ii) पुनर्नियोजित उस रेल कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन जो पेंशन अथवा सेवा-निवृत्ति संबंधी किसी अन्य लाभ के साथ सेवानिवृत्त हुआ था तथा पुनर्नियोजन पर जिनके वेतन का निर्धारण इन लाभों के संदर्भ में अथवा इसके किसी भाग को अस्वीकृत करते हुए, किया गया था तथा जिन्होंने 1 जनवरी, 1996 से संशोधित वेतनमान द्वारा शासित किए जाने का चुनाव किया हो अथवा चुनाव किया हुआ है ऐसा माना जाता है, रेल सेवा(संशोधित वेतन) नियम, 1997 के नियम 7 में अन्तर्विष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

इस तरह निर्धारित वेतन के अलावा, पुनर्नियोजित रेल कर्मचारी पाँचवे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यथासंशोधित पूर्व संशोधित वेतनमान में अनुमन्य सेवानिवृति संबंधी लाभों को प्राप्त करता रहेगा, जिसके लिए आदेश पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण मंत्रालय द्वारा अलग से जारी किए गए हैं. बहरहाल, पुनर्नियोजित पेंशनभोगी के वेतन के निर्धारण पर सरकार की सामान्य नीति के अनुसार, 1.1.1996 अथवा इसके बाद से प्रभावी संशोधित पेंशन(पेंशन के अस्वीकार करने योग्य भाग, जहांकहीं अनुज्ञेय हों, को छोड़कर) की समतुल्य राशि उसके वेतन से घटायी जाएगी.

ऊपर उल्लेख किए गए तरीके से संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के बाद, वेतनवृद्धियों की अनुमति रेलवे सेवा(संशोधित वेतन) नियम 1997 के नियम 8 में उल्लिखित तरीके से होगी.

3. ऐसे पुनर्नियोजित व्यक्तियों को जो इन आदेशों के अनुसार संशोधित वेतनमानों में चुनाव करने के पात्र हो जाते हों, इन आदेशों के जारी किए जाने की तारीख से अथवा उन मामलों में जहां वेतनमानों को संशोधित करते हुए आदेश/अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर, इन आदेशों के जारी होने के बाद उनके द्वारा धारित पदों के मौजूदा वेतनमान संशोधित किए जाते हों, तीन महीने के भीतर रेल सेवा(संशोधित वेतन), नियम 1997 में उल्लिखित तरीके से अपने विकल्प का प्रयोग करना चाहिए.

...3/-

4. जहां कोई पुनर्नियोजित रेल कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करने का विकल्प देता हो तथा जिसे 1 जनवरी, 1996 के बाद किसी तारीख से संशोधित वेतनमान में लाया जाता हो तो उनका वेतन भी संशोधित वेतनमान में कर दी गई तारीख से रेल सेवा(संशोधित वेतन) नियम 1997 के नियम 7 की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

5. ऐसे पेंशनभोगियों के वेतन जो 1.1.96 को रेलवे विभागों में पुनर्नियोजित रहे हों तथा अपनी पुनर्नियोजन से पहले/बाद से प्रैक्टिस बंदीकरण भत्ता प्राप्त कर रहे हों/ थे, रेल सेवा(संशोधित वेतन) नियम, 1997 के नियम 7 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत नीचे दिए गए तरीके से विनियमित किये जाएंगे.

(i) उन मामलों में जहां प्रैक्टिस बंदीकरण भत्ता मौजूदा वेतनमानों के साथ उपलब्ध था तथा यह संशोधित वेतनमानों के साथ भी एक अलग तत्व के रूप में स्वीकार्य रहा हो- इस प्रकार के मामलों में वेतन का निर्धारण रेल सेवा(संशोधित वेतन) नियम 1997 के नियम 7 की व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाए.

(ii) उन मामलों में जहां प्रैक्टिस बंदीकरण भत्ता मौजूदा वेतनमानों के साथ संबद्ध रहा था तथा संशोधित वेतनमान में कोई प्रैक्टिस बंदीकरण भत्ता संबद्ध न रहा हो - इस प्रकार के मामलों में, रेल सेवा(संशोधित वेतन) नियम, 1997 के अंतर्गत वेतन का निर्धारण करने हेतु प्रैक्टिस बंदीकरण भत्ते को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए. बहरहाल, परिलब्धियों में आयी किसी कमी को वैयक्तिक वेतन प्रदान करते हुए प्रतिरक्षित किया जाएगा जो वेतन में भावी वृद्धियों में समाहन योग्य होगा.

(iii) उन मामलों में जहां मौजूदा वेतनमानों में कोई प्रैक्टिस बंदीकरण भत्ता संबद्ध न हो तथा संशोधित वेतनमान में प्रैक्टिस बंदीकरण भत्ता संबद्ध रहा हो- इस प्रकार के मामलों में, रेल सेवा(संशोधित वेतन) नियम, 1997 के अन्तर्गत वेतन का निर्धारण करने के बाद प्रैक्टिस बंदीकरण भत्ता अलग से प्राप्त किया जाएगा.

(आर. कश्यप)
कार्यकारी निदेशक, वेतन आयोग,
रेलवे बोर्ड.